

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना.स्था./2018 दिनांक 10.07.2018 द्वारा श्री शीशराम प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुरा उदयपुरवाटी झुन्झुनु का स्थानान्तरण राउमावि-नून जालौर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री शीशराम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 15910/2018 शीशराम बनाम सरकार दायर की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय पारित निर्णय दिनांक 27.07.18 द्वारा अन्तरिम स्थगनादेश जारी किया गया था जिसकी अनुपालना में श्री शीशराम को माननीय न्यायालय निर्णयाधीन राउमावि जोधपुरा, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनु में एवं श्री राय सिंह, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि नून जिला जालौर में प्रधानाचार्य के पद पर किया गया था।

प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 11.11.2019 द्वारा श्री शीशराम, प्रधानाचार्य की याचिका को अन्तिम रूप से खारिज कर अन्तरिम स्थगनादेश को वैकैट कर दिये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांक: 10.07.2018 की अनुपालना में श्री शीशराम, राउमावि नून जिला जालौर में एवं श्री राय सिंह राउमावि जोधपुरा, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनु में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करेंगे। सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की तत्काल पालना की जानी सुनिश्चित करें।

  
(सौरम स्वामी)


आई ए एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/शीशराम/15910/2018 दिनांक: 21/07/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु/पाली संभाग, चूरु/पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनु/जालौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झुनु/जालौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्यालय)